22.08.2017

राज्य द्वारा एजीपी उपस्थित।। अनावेदक द्वारा अधि. श्री विकास कांकर उपस्थित।।

अनावेदकगण की ओर से दिनांक 21.08.17 के पालन में जमानत एवं मुचलका राशि 1000—1000 रुपए जमा किए गये जो रशीद क्रमांक 57, 58 पर जमा किए गये उन्हें रशीद दी गयी।

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। प्रकरण का सारं अंकित कर पंजी दाखिल रिकॉर्ड हो।

> वीरेन्द्र सिंह राजपूत अपर सत्र न्यायाधीश गोहद